**झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची**

**आपराधिक पुनरीक्षण सं. 666 वर्ष 2021**

शशि भूषण सिंह पुत्र श्री मकसूदन सिंह, निवासी हवाई नगर, विरसा चौक, डाकखाना तथा थाना जगारनाथपुर, कस्बा राँची ,जिला राँची

**.....याचिकाकर्ता**

**बनाम**

झारखण्ड राज्य द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.)

**..... उत्तरदाता**

**कोरम : मा. श्री न्यायमुर्ति सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए : श्री अनील कुमार, ए.एस.जी.आई

**आदेश सं. 10/दिनांक 9 फरवरी, 2024**
**अनुरोध**

1. वर्तमान आवेदन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120ख/34 के अधीन तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(घ) के अधीन पंजीकृत आर.सी.सं. 17 (एस)/2013-आर के संबंध में विविध दाण्डिक आवेदन सं. 146 वर्ष 2020 में विद्वान विशेष जज, सीबीआई, राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-02-2020 पर अभ्याक्रमण करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सपठित धारा 401 के अधीन दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत, आपराधिक दायित्व से याचिकाकर्तागण के उन्मोचन हेतु दाखिल याचिका को यह धारित करते हुए नामंजूर किया गया है कि अभिकथित अपराधो के लिए आरोप के विरचित किये जाने के प्रयोजन हेतु याचिकाकर्ता के विरूद्ध अभिलेख पर प्रथमदृष्टया पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

**तथ्य**

2. तथ्यात्मक आब्यूह जिसके कारण वर्तमान मामले को संक्षेप में दाखिल किया है निम्नवत पठित है:-

अभियोजन मामला अभिषेक कुमार द्वारा यह अभिकथन करते हुए लिखित शिकायत पर आरंभ किया गया था कि शिकायतकर्ता तथा इसकी माँ ने ऐश्वर्या रेजीडेनसी, ॥ फेज, पून्डग, राँची में मेसर्स संजीवनी बिल्डकान (प्रा.) लि. के खाता सं. 155, भूखण्ड सं. 541 के 2000 वर्ग फिट भूमि को बुक कराया था। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में रू 9 लाख संदत्त किया है लेकिन न तो इसे भूमि उपलब्ध कराया गया था न ही इसका पैसा वापस किया गया था। बारबार माँग

करने के बाद रू 4.5 लाख इस वापस किया गया था लेकिन बाकी धनराशि को वापस नही किया गया था। बाद में, शिकायतकर्ता को क्रमशः रू 2 लाख तथा रू 1,22,000 का दो चेक दिया गया था जिसे उपस्थापन के बाद अंसदत्त वापस कर दिया गया था। शिकायतकर्ता के बार बार माँग के बावजूद इसका पैसा वापस नही किया गया था।

इस लिखित आवेदन पर प्र.सू.रि. दिनांक 08-04-2012 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406,420, तथा 34 के अधीन अपराध हेतु जगन्नाथपुर (पुनडुग) थाना मामला सं. 96/12 के रूप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406,420 तथा 34 के अधीन अपराध हेतु पंजीकृत किया गया था।

3. पूर्वीक्त मामले को बाद में झारखण्ड राज्य द्वारा अधिसूचना दिनांक 15-01-2013 द्वारा सीबीआई, एसीबी, राँची को अन्वेषण हेतु अन्तरित किया गया है तथा तदनुसार सीबीआई ने मेसर्स संजीवनी विल्डकान प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशको तथा अन्य सह-अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 406, 420 तथा 34 के अधीन मामला सं. आरसी/17 (एस)/2013-आर द्वारा मामले को पुनः पंजीकृत किया गया है।

4. मामले के अन्वेषण के बाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख सपठित धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(घ) के अधीन वर्तमान याचिकाकर्ता तथा सह अभियुक्त व्यक्तियो के विरूद्ध आरोप पत्र सं. 13/2014 दिनांक 30-9-2014 प्रस्तुत किया गया था।

5. यह अभिकथित है कि इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता रातू सर्किल में सुसंगत समय पर तत्कालीन हलका कर्मचारी के रूप में पदस्थ था तथा वह हलका जिसमें गाँव पुनडुग भी था की देखरेख कर रहा था। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता जो तब हलका कर्मचारी, रातू अंचल राँची की हैसियत में था ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियो की साँठगाठ से 35.55(19+16.55) डिस्मल भूमि के वास्तविक जोत में से 39.49 अतिरिक्त भूमि के नामांतरण की सिफारिश किया था। आगे यह अभिकथित है कि 16.55 डिस्मल भूमि को मेसर्स संजीवनी बिल्डकॉन प्रा.लि. के अनामिका नंदी द्वारा खरीदा गया था तथा इसके विरूद्ध 39.49 डिस्मल भूमि 09 विभिन्न व्यक्तियो को बेचा गया था। इन 9 मामलो में से 04 मामलो का नामांतरण वर्तमान याचिकाकर्ता के सिफारिश पर किया गया था।

6. आगे यह अभिकथित है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियो तथा प्राइवेट व्यक्तियो के साथ आपराधिक षडयंत्र किया था तथा अपने अपने पदीय स्थितियो का

दुरूपयोग किया था तथा इसके अनुसरण  में अतिरिक्त नामांतरण किया था।

7. तद्नुसार, याचिकाकर्ता के अभियोजन हेतु मंजूरी प्राप्त किया गया है तता अपराध का संज्ञान लिया गया है। तत्पश्चात, वर्तमान याचिकाकर्ता आपराधिक विविध याचिका 2867 वर्ष 2014 द्वारा संज्ञान लेने के आदेश के अभिखण्डन हेतु इस न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था, जिसे आदेश दिनांक 18-10-2019 द्वारा खारिज किया गया था।

8. परिणामस्वरूप, विचारण के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा उन्मोचन याचिका दाखिल किया गया था लेकिन इसे आदेश दिनांक 27-02-2020 द्वारा खारिज किया गया था जिस पर अभ्याक्रमण इसमें वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन द्वारा किया गया था।

**याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क**

9. याचिकाकर्ता के ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता को मात्र इस आधार पर वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है कि सुसंगत समय पर, याचिकाकर्ता राजस्व कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था तथा इसके सिवाय, याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई सामग्री नही है जिससे वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता प्रदर्शित होता हो।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के पास हलका कर्मचारी होने के नाते नामांतरण हेतु आदेश देने का कोई अधिकार नही था तथा वह मात्र सिफारिश करने वाला अधिकारी था। आगे, यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नही है कि इसने अनुग्रहपूर्वक नामांतरण हेतु सिफारिश करने के अभिकथित कार्य द्वारा कोई अर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

11. यह तर्क दिया है कि कर्मचारी की भूमिका बिहार अधिकारी के जोत (अभिलेखो का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 की धारा 13 के अधीन परिभाषित है तथा विधि के प्रावधान के अनुसार यह याचिकाकर्ता (हलका कर्मचारी) अन्तरण के मामले का रिपोर्ट करने के लिए आबद्ध था तथा 14 (1) के अधीन सभी सुसंगत पत्रावली पर विचार करने के बाद समुचित आदेश पारित करना वृत्त अधिकारी का काम था जिसमें अन्य बातो के साथ अधिनियम 1973 की धारा 11,12 तथा 13 के अधीन रिपोर्ट शामिल था।

12. आगे यह निवेदन किया गया है कि भूमि के नामांतरण हेतु आवेदक द्वारा आवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने विक्रेता के अधिकार, हक तथा कब्जा का सत्यापन किया था तथा इसे कानूनी अभिलेख (रजिस्टर-II) से भी सत्यापित किया गया था जिसमें दर्ज रैयतो का नाम उल्लिखित था तथा दर्ज रैयत अभी भी भूमि पर काबिज है।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि धारा 13 (1)(घ) के अधीन अपराध का गठन करने के लिए, सदोषपूर्ण कार्य तथा दुराशय दोनो का तत्व मौजूद होना चाहिए तथा वर्तमान मामले में दुराशय का तत्व अन्तर्वलित नही है एवं तद्नुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का प्रावधान आकृष्ट नही होता है तथा तर्क के इस भाग की पुष्टि करने के लिए, इन्होने **सी.के. जाफर शरीफ बनाम राज्य (द्वारा सीबीआई) (2013)** 1 एससीसी 205 के मामले में भरोसा किया है।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विधि सुस्थापित है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 को आकृष्ट करने के प्रयोजन हेतु, बेईमानीपूर्ण आशय आरंभ से होना चाहिए अर्थात इसे स्वयं विक्रय के समय पर होना चाहिए था तथा यह विवादित नही है कि इस मामले में अन्तर्वलित सम्पत्ति के विक्रय के समय पर, याचिकाकर्ता कही भी चर्चा में नही था तथा तर्क के इस भाग की पुष्टि करने के लिए इन्होने **विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2022) 7 एससीसी 124** के मामले पर भरोसा किया है।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश सकारण आदेश नही है क्योकि उन्मोचन याचिका के नामंजूरी हेतु कोई कारण नही दिया गया है तथा सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन किया जाना आशयित है को आक्षेपति आदेश में बताया नही गया है।

16. उपरोक्त आधारो पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता को इस मामले से उन्मोचित किया जा सकता है।

**सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता का तर्क**

17. सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से अनुरोध का विरोध किया है। यह निवेदन किया गया है कि आधार जिसे वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदन में लिया गया है, को इस न्यायालय के समक्ष याचिका के अभिखण्डन में याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही अनुरोध किया गया है, इस प्रकार, यह अपनी अंतिमता प्राप्त किया है।

18. सी.बी.आई के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि समुचित अन्वेषण के बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, अभियोजन हेतु मंजूरी प्राप्त किया गया है, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा अन्तेषण के दौरान याचिकाकर्ता के विरूद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक प्रदर्शित करते हुए पर्याप्त सामग्री एकत्रित किया गया है।

19. आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता हलका कर्मचारी है तथा इसके विरूद्ध ठोस साक्ष्य है कि अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, इसने भूमि विकासकर्ता कंपनी के साथ साँठ-गाँठ करके अतिरिक्त भूमि का नामांतरण किया था।

20. इन्होने आगे निवेदन किया है कि वृत्त अधिकारी का अन्य अभिलेख अनुरक्षित है तथा किसी भी मामले में नामांतरण का क्षेत्रफल भूमि के क्षेत्रफल से अधिक नही होना चाहिए यदि नामांतरण का क्षेत्रफल भूमि के क्षेत्रफल से अधिक होता है अपने अपने सर्किल अधिकारी, सर्किल निरीक्षक तथा कर्मचारी पूर्णतया उत्तरदायी है।

21. इन्होने आगे निवेदन किया है कि याचिकाकर्तागण को उन्मोचित करने में निर्वन्धन है तथा इस प्रक्रम पर जाँच आवश्यक नही है। तर्क के इस भाग भी पुष्टि करने के लिए इसने निर्णय पर भरोसा रखा है जैसा **गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मैगरे तथा अन्य (2022) 12 एससीसी 657*]*** के मामले में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है।

22. पूर्वीक्त आधारो पर, सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उन्मोचन याचिका को नामंजूर करने वाले आदेश में हस्तक्षेप नही किया जा सकता है।

**विश्लेषण**

23. पक्षकारो की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्तागण के पूर्वीक्त निवेदनो के दृष्टिगत, न्यायालय ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका तथा आक्षेपित आदेश के अन्तरवस्तुओ का परिशीलन किया है तथा पाया है कि यह विवादित नही है कि मामले को आरंभ में स्थानीय पुलिस द्वारा अभिषेक कुमार द्वारा लिखित शिकायत पर संस्थित किया गया था, जो जगन्नाथपुर (पुंडग) थाना मामला सं. 96/2012 के रूप में संख्याकित था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, यह अभिकथित था कि शिकायतकर्ता तथा इसकी माँ ने मेसर्स संजीवनी बिल्डकान (प्रा.) लि. के ऐश्वर्या रेजीडेन्सी, पुनडग, के नाम में भूखण्ड बुक कराया था। इन्हे पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा पर्याप्त धनराशि पर पुनडग में भूखण्ड दिया गया था लेकिन न तो भूमि का कब्जा दिया गया था न ही नागरी या रातू अंचल में भूमिका नामांतरण इसके पक्ष में किया जा सका।

24. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 के प्रावधानो के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओ के बाद झारखण्ड सरकार से प्राप्त अनुरोध पर, मामले के अन्वेषण का कार्यभार अन्वेषण हेतु उत्तरदाता सीबीआई द्वारा संभाला गया था। मामले के अन्वेषण के बाद, आरोप पत्र सं. 13/2014 दिनांक 30-09-2014 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख सपठित धारा 420

तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(घ) के अधीन याचिकाकर्ता तथा अन्य सह-अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था।

25. वर्तमान याचिकाकर्ता के विरूदध स्पष्ट अभियोग यह है कि याचिकाकर्ता रातू सर्किल में पदस्थ सुसंगत समय पर हलका कर्मचारी था तथा वह हलका की देख रेख कर रहा था जिसमें गाँव पुनडग था तथा इसने अन्य अभियुक्त व्यक्तियो के साठगाँठ से अतिरिक्त भूमि के नामांतरण की सिफारिश किया था।

26. तद्नुसार, अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा संज्ञान लेने के आदेश से व्यथित वर्तमान याचिकाकर्ता ने आपराधिक विविध याचिका 2867 वर्ष 2014 द्वारा इसके अभिखण्डन हेतु इस न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था, जिसे आदेश दिनांक 18-10-2019 द्वारा खारिज किया गया था।

27. परिणाम स्वरूप, वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा उन्मोचन याचिका दाखिल किया गया था लेकिन इसे प्रकीर्ण दाण्डिक आवेदन सं. 146 वर्ष 2020 में विशेष जज, सीबीआई राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-02-2020 द्वारा खारिज किया गया था, जो वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन की विषयवस्तु है।

28. मामले के गुणावगुण का उल्लेख करने के पहले यह न्यायालय उन्मोचन के सिद्धांत की विवेचना करना उपयुक्त समझता है जैसा दण्ड प्रक्रिया संहिता में अन्तर्विष्ट है।

29. उन्मोचन के दो महत्वपूर्ण संघटक है-

(क) अभियुक्त के निवेदनो को सुनने के बाद तथा (ख) अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार नही

30. मा. शीर्ष न्यायालय ने अभियुक्त के निवेदनो को सुनने, के विवाद्यक को सुनते हुए इस पर विचार उड़ीसा ***राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पाधी [एआईआर 2005 एससी 359: (2005) 1 एससीसी 568]*** के मामले में किया है जिसमें पैरा 18 पर निम्नवत अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "18. हम पूर्वीक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है। अनुच्छेद 14 तथा 21 पर भरोसा अनुचित है। संहिता की स्कीम तथा उद्देश्य जिसके साथ धारा 227 को सम्मिलित किया गया था तथा धारा 207 एवं 207-क का लोप किया गया था का पहले ही उल्लेख किया गया है। आगे, आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर जाँच करना अननुज्ञेय होता है। यदि अभियुक्त के तर्क को स्वीकार किया जाता है, आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर लघु विचारण होगा। यह संहिता के उद्देश्य को विफल कर देगा। यह सुस्थापित है कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर अभियुक्त के प्रतिरक्षा को पेश नही किया जा सकता है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार करने का

मतलब आरोप के विरचित किये जाने के प्रक्रम पर तथा इस प्रक्रम पर इसके परीक्षा हेतु अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा पेश करने की अनुमति देना होगा जो आपराधिक विधिशास्त्र के विरूद्ध है। दृष्टांत के द्वारा, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा लिये गये अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् की जाँच आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर की जा सकती थी यदि अभियुक्त के तर्क को इस सुस्थापित प्रतिपादना के बावजूद स्वीकार किया जाता है कि इस प्रकार के अभिवाक् को कायम रखने के लिए विचारण पर साक्ष्य देना अभियुक्त का कार्य है। अभियुक्त आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर इस प्रकार के अभिवाक के सबूत में सामग्रीयो तथा दस्तावेजो को पेश करने का हकदार होगा यदि हम अभियुक्त की ओर से पेश तर्क को स्वीकार करते है। अब तक सौ वर्ष से अधिक समय तक कभी भी सुस्थापित विधि का आशय नही रहा है। इस आलोक में कि अभियुक्त के निवेदनो के सुनवाई के बारे में प्रावधान जैसा धारा 227 द्वारा अभिगृहीत किया है को समझा जाना चाहिए। इसका एकमात्र मतलब मामले के अभिलेख पर अभियुक्त के निवेदनो को सुना जाना जैसा अभियोजन द्वारा दाखिल है तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज तथा और कुछ नही। अभिव्यक्ति "अभियुक्त के निवेदनो की सुनवाई" का मतलब अभियुक्त को दिये जाने वाले सामग्री को दाखिल करने का अवसर तथा इसके द्वारा स्थापित विधि को बदलना नही हो सकता है। आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर अभियुक्त के निवेदनो का सुना जाना पुलिस द्वारा पेश सामग्री तक सीमित होना चाहिए। (बल दिया गया)

31. दूसरा घटक अर्थात 'अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार नही' पर विचार **मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल तथा एक अन्य (1979) 3 एससीसी 4]** के मामले में किया गया है, जिसमें पैरा 7 में यह निम्नवत अभिनिर्धारित किया गया है:-

"7. संहिता की धारा 227 इस प्रकार है: यदि मामले के अभिलेख तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजो पर विचार करने के पश्चात तथा अभियुक्त एवं इस निमित्त अभियोजन के निवेदनो को सुनने के पश्चात, जज विचार करता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार नही है, वह अभियुक्त का उन्मोचन करेगा तथा ऐसा करने हेतु अपने कारणो को लेखबद्ध करेगा। "शब्दवली" अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार नही" से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि जज अभियोजन के आदेश पर आरोप विरचित करने के लिए मात्र पोस्ट ऑफिस नही है, बल्कि यह अवधारित करने के लिए मामले के तथ्यो के संबंध में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ता है कि क्या विचारण हेतु मामला अभियोजन द्वारा बनाया जा रहा है। इस तथ्य का मूल्यांकन करने में, मामले के पक्ष तथा विपक्ष में जाना तथा साक्ष्य एवं संभावनाओ को संतुलित करना तथा विचार करना न्यायालय के लिए आवश्यक नही होता है जो वास्तव में विचारण आरंभ होने के बाद इसका कार्य है। धारा 227 के प्रक्रम पर, जज को यह पता लगाने के लिए मात्र साक्ष्य की छानबीन करना पड़ता है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार है। आधार की पर्याप्ति पुलिस द्वारा लेखबद्ध साक्ष्य की प्रकृति या न्यायालय के समक्ष पेश दस्तावेजो को अपने लपेटे में लेगा जो स्पष्टतया यह प्रकट करता है कि अभियुक्त के विरूद्ध संदिग्ध परिस्थितियाँ है जिससे इसके विरूद्ध आरोप विरचित किया जा सकता है।"

32. मा. शीर्ष न्यायालय ने आगे **ओंकार नाथ मिश्रा तथा अन्य बनाम राज्य (दिल्ली रा.रा.क्षे.) तथा एक अन्य (2008) 2 एससीसी 561]** के मामले में आरोप विरचित करने हेतु उचित आधार पर विचार किया है जिसमें पैरा 11, 12 तथा 14 में यह निम्नवत अभिनिर्धारित किया गया है:-

> **"11.** यह घिसा पिटा है कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा यह ज्ञात करने के विचार से अभिलेख पर सामग्री तथा दस्तावेजो तथा सामग्री का मूल्यांकन करना आवश्यक है यदि इनके प्रत्यक्ष मूल्य पर लिये गये इससे प्रकट होने वाले तथ्यो से अभिकथित अपराध गठित करने वाले सभी संघटको का होना प्रकट होता है। इस प्रक्रम पर, न्यायालय से अभिलेख पर सामग्री के प्रमाणक मूल्य में गहराई से जाने की अपेक्षा नही की जाती है। यहि विचार किया जाना आवश्यक होता है कि क्या यह उपधारित करने के लिए आधार है कि अपराध किया गया है तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अपराध नही बन रहा है। इस प्रक्रम पर, यहाँ तक कि सामग्री पर आधारित मजबूत आशंका भी जो न्यायालय को अभिकथित अपराध को गठित करने वाले तथ्यात्मक संघटको के होने के संबंध में उपधारणात्मक राय बनाने की ओर ले जाता है उस अपराध को करने के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करना न्यायसंगत होगा।
>
> **12.** कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी [(1977) 2 एससीसी 699: 1977 एससीसी (क्रि) 404] में इस न्यायालय के तीन जजो की पीठ ने संप्रेक्षित किया था कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर, न्यायालय को इस प्रश्न पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ता है कि क्या अभियुक्त द्वारा अपराध का किया जाना उपधारित करने के लिए कोई आधार है या नही। चूकि आरोप का विरचित किया जाना व्यक्ति के स्वतन्त्रता को काफी हद तक प्रभावित करता है, सामग्री के समुचित विचार हेतु आवश्यकता जो इस प्रकार के आदेश के लिए आवश्यक होता है, बल दिया गया था।
>
> **14.** म.प्र. राज्य बनाम मोहन लाल सोनी [(2000) 6 एससीसी 338 : 2000 एससीसी (क्रि) 1110] वाद के एक निर्णय में, कई पूर्व निर्णयो को निर्दिष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया कि: (एससीसी पे. 342, पैरा 7)
>
> > "7. निश्चित रूप दिया गया न्यायिक विचार यह है कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर, न्यायालय को प्रथमदृष्टया यह विचार करना पड़ता है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार है। न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक नही होता है कि क्या पेश सामग्रीयाँ अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है या नही है।

33. विधि की आगे सुस्थापित स्थिति है कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर गुणावगुण पर प्रतिरक्षा पर विचार नही किया जाना चाहिए तथा यह उन्मोचन का आधार नही हो सकता है। निर्णय का संदर्भ किया जा सकता है जैसा **राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप (2021) 11 एससीसी 191** में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिया गया है। त्वरित संदर्भ हेतु उक्त निर्णय के पैरा सं. 10 से 17 को नीचे उत्कथित किया जाता है।

> **"10.** आक्षेपित निर्णय [अशोक कुमार कश्यप बनाम राजस्थान राज्य 2018 एससीसी ऑनलाइन राज 3468] तथा आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में भ्र.नि. अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को विरचित करने वाले विद्वान विशेष जज द्वारा पारित आदेश को अपास्त

किया है तथा परिणाम स्वरूप, उक्त अपराध हेतु अभियुक्त को उन्मोचित किया है। अभियुक्त का उन्मोचन करते समय उच्च न्यायालय को जो प्रभावित किया है को आक्षेपित निर्णय [अशोक कुमार कश्यप बनाम राजस्थान राज्य 2018 एससीसी ऑनलाइन राज 3468] तथा आदेश के पैरा 10 तथा 11 में कहा गया है, जिसे एतस्मिन उपरोक्त दोहराया जाता है।

**11.** उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय [अशोक कुमार कश्यप बनाम राजस्थान राज्य 2018 एससीसी ऑनलाइन राज 3468] तथा आदेश के वैधता पर विचार करते हुए इस विषय पर विधि तथा इस न्यायालय के कुछ निर्णयो को निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है।

**11.2** एम.आर हायर मठ.[कर्नाटक राज्य बनाम एम.आर हायर मठ (2019) 7 एससीसी 515: (2019) 3 एससीसी (क्रि) 109: (2019) 2 एससीसी (एल एवं एस) 380] के इस न्यायालय के हाल के निर्णय में, पीठ के लिए बोलते हुए हममें से एक (डी.बाई.चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति) ने निम्नवत पैरा 25 में संप्रक्षित तथा अभिनिर्धारित किया है:(एससीसी पे. 256)

> "25. उच्च न्यायालय [एम आर हायर मठ बनाम राज्य 2017 एससीसी ऑनलाइन कर्नाटक 4970] को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए था कि विचारण न्यायालय धारा 239 द.प्र.सं. के प्रावधानो के अधीन उन्मोचन हेतु आवेदन पर विचार कर रहा था। मानदण्ड जो इस अधिकारिता के प्रयोग को नियंत्रित करता है को इस न्यायालय के कई निर्णयो में अभिव्यक्ति मिला है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि उन्मोचन हेतु आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर न्यायालय को इस धारणा पर अग्रसर होना चाहिए कि सामग्री जिसे अभिलेख पर अभियोजन द्वारा लाया गया है सत्य है तथा यह अवधारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या इसके प्रत्यक्ष मूल्य पर लिये गये सामग्री से प्रकट होने वाले तथ्यो से अपराध गठित करने के लिए आवश्यक संघटको का होना प्रकट होता है। [तमिलनाडु राज्य बनाम एवं सुरेश राजन [तमिलनाडु राज्य बनाम एवं सुरेश राजन (2014) 11 एससीसी 709:(2014) 3 एससीसी (क्रि) 529 :(2014) 2 एससीसी (एल एवं एस) 721 ] में इस विषय पर पूर्ववर्ती निर्णयो का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया : (एससीसी) पे. 721-22, पैरा29) 29-------- इस प्रक्रम पर, सामग्रीयो, के प्रमाणक मूल्य की जाँच करनी चाहिए तथा न्यायालय द्वारा मामले में गहराई तक जाने की अपेक्षा नही की जाती है तथा धारित किया है कि सामग्रीयो पर दोषसिद्धि आवश्यक नही होगा। हमारी राय में यह विचार किया जाना आवश्यक होता है कि क्या यह उपधारित करने के लिए आधार है कि अपराध किया गया है तथा कि क्या अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए आधार नही बन रहा है। इसे अलग तरीके से पेश किया जाता है, यदि न्यायालय का विचार है कि अभियुक्त द्वारा इसके प्रमाणक मूल्य पर अभिलेख पर सामग्रीयो के आधार पर अपराध किया गया हो सकता है, यह आरोप को विरचित कर सकता है; यद्यपि दोषसिद्धि के लिए, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। विधि इस प्रक्रम पर लघु विचारण की अनुमति नही देता है।

**12.** अब हम ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतो को वर्तमान मामले में यह ज्ञात करने के लिए लागू करेगे कि क्या मामले के तथ्यो तथा परिस्थितियो में, उच्च न्यायालय भ्र.नि. अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध हेतु अभियुक्त का उन्मोचन करने में न्याय संगत था।

**13.** उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये तर्क तथा इन आधारो पर विचार करने के बाद जो अभियुक्त का उन्मोचन करते समय उच्च न्यायालय को प्रभावित किया है, मेरी राय है कि उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में अपने अधिकारिता में अतिक्रमण किया है तथा धारा 227/239 के व्याप्ति के परे कार्य किया है। अभियुक्त का उन्मोचन करते समय, उच्च न्यायालय मामले के गुणावगुण की जाँच किया है तथा विचार किया है कि क्या अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने की संभावना है या नही। पूर्वोक्त के लिए, उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता तथा अभियुक्त के बीच वार्तालाप के अनुलिपि पर विस्तारपूर्वक विचार किया है जो उन्मोचन आवेदन तथा/ या आरोप विरचित करने पर विचार करने के लिए इस प्रक्रम पर प्रयोग बिल्कुल अनुज्ञेय नही है।

**14.** जैसा विद्वान विशेष जज द्वारा ठीक ही संप्रेक्षित तथा अभिनिर्धारित किया गया है आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर यह देखा जाना चाहिए कि क्या प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नही तथा अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर विचार नही किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता तथा अभियुक्त के बीच वार्तालाप के अनुलिपि सहित अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, विद्वान विशेष जज ने पाया है कि भ्र.नि. अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभिकथित अपराध का प्रथम दृष्टया मामला है, उक्त अपराध हेतु अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया था। उच्च न्यायालय ने सविस्तार अनुलिपि पर विचार करने के प्रयोग को नकारने में तथा यह विचार करने में भरपूर त्रुटि किया था कि क्या अभिलेख पर सामग्री के आधार पर अभियुक्त को भ्र.नि. अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाना संभाव्य है या नही।

**15.** जैसा एतस्मिन उपरोक्त संप्रेक्षित है, उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार किया जाना आवश्यक था कि क्या प्रथमदृष्टया मामला बन रहा है या नही तथा क्या अभियुक्त पर आगे विचारण किया जाना आवश्यक है या नही। आरोप विरचित करने तथा/या उन्मोचन आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर, लघु विचारण अनुज्ञेय नही है। इस प्रक्रम पर, यह उल्लेखनीय है कि भ्र.नि. अधिनियम की धारा 7 के अनुसार भी, प्रयत्न से भी अपराध गठित होता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उन्मोचन आवेदन के प्रक्रम पर वस्तुतः लघु विचारण करने में त्रुटि किया है तथा/ या अतिक्रमण किया है।

**16.** हम आगे मामले के गुणावगुण तथा/या अनुलिपि के गुणावगुण में नही जा रहे है क्योकि इस पर विचारण के समय पर विचार किया जाना आवश्यक है। गुणावगुण पर प्रतिरक्षा पर विचार आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर तथा / या अनुलिपि के उन्मोचन आवेदन के प्रक्रम पर नही किया जाना चाहिए।

**17.** उपरोक्त के दृष्टिगत तथा ऊपर बताये गये कारणो पर भ्र.नि. अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभियुक्त का उन्मोचन करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय [आशोक कुमार कश्यप बनाम राजस्थान राज्य 2018 एससीसी ऑनलाइन राज 3468] तथा आदेश विधि में असंघार्य है तथा यह अभिखंडित एवं अपास्त किये जाने योग्य है तथा तद्नुसार एवद द्वारा अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है तथा भ्र.नि अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने वाले विद्वान विशेष जज द्वारा पारित आदेश को एतदद्वारा पुर्नस्थापित किया जाता है। अब

अभियुक्त के विरूद्ध मामले का विचारण सक्षम न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार तथा इसके स्वयं के गुणावगुण पर भ्र.नि. अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध हेतु किया जाना चाहिए।

34. **तमिलनाडु राज्य अभ्यावेदित द्वारा पुलिस निरीक्षक सतर्कता तथा भ्रष्टाचार रोधी बनाम एन. सुरेश राजन तथा अन्य (2014) 11 एससीसी 709** के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उन्मोचन हेतु आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर, न्यायालय को इस धारणा के साथ कार्यवाही करना पड़ता है कि अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लायी गई सामग्रीयाँ सत्य है तथा यह ज्ञात करने के विचार से उक्त सामग्रीयो तथा दस्तावेजो का मूल्यांकन करना पड़ता है कि क्या इसके प्रत्यक्ष मूल्य पर लिये गये इससे प्रकट होने वाले तथ्यो से अभिकथित अपराध गठित करने वाले सभी संघटको का होना प्रकट होता है।

35. **कर्नाटक राज्य लोकायुक्त, पुलिस थाना, बेगंलूरू बनाम एम आर हायर मठ (2019) 7 एससीसी 515** के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय ने धारित किया है कि उन्मोचन हेतु आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर न्यायालय को इस धारणा पर कार्यवाही करना चाहिए कि सामग्री जिसे अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाया गया है सत्य है तथा यह अवधारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या इसके प्रत्यक्ष मूल्य पर लिये गये सामग्री से प्रकट होने वाले तथ्यो से अपराध गठित करने के लिए आवश्यक संघटको का होना प्रकट होता है।

36. **मा. शीर्ष न्यायालय ने शिवराज सिंह अहलावत तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य [(2013) 11 एससीसी 476]** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि आरोप विरचित के समय पर न्यायालय द्वारा यह विनिश्चय करने के लिए अभिलेख पर दस्तावेजो एवं सामग्री का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है कि क्या यह उपधारित करने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था। अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य के पर्याप्ति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नही है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाये गये सामग्रीयो का सत्य होना विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इनके प्रमाणक मूल्य का विनिश्चय इस प्रक्रम पर नही किया जा सकता है। अभियुक्त मात्र अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर उन्मोचन आवेदन को ग्रहण करते समय अपने तर्क पर बल देने का हकदार है, लेकिन वह इस प्रक्रम पर किसी सामग्री को पेश करने का हकदार नही होता है तथा न्यायालय द्वारा इस प्रकार के किसी सामग्री पर विचार किया जाना आवश्यक नही है। यदि दो विचार संभव है तथा इनमें एक गंभीर आशंका से भिन्न आशंका को उद्भूत करता है, विचारण जज विचारण के परिणाम पर ध्यान दिये बिना अभियुक्त का उन्मोचन करने के लिए सशक्त है।

37. इस समय पर, आक्षेपित आदेश के वैधता तथा युक्तियुक्तता की जाँच करने के पहले, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के व्याप्ति तथा प्रयोज्यता की विवेचना करना अर्थगर्भित होगा। त्वरित संदर्भ हेतु द.प्र.सं. की धारा 228 को एतस्मिननिम्न उत्कथित किया जा रहा हैः-

> "(1) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो-
>
> (क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नही है तो वह, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकता है और तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट मामलो के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा।
>
> (ख) अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा।
>
> (2) जहाँ न्यायाधीश उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहाँ वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया तथा समझाया जायेगा और अभियुक्त से यह पूछाँ जायेगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया हो, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किये जाने का दावा करता है।

38. पूर्वोक्त प्रावधान के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित करने का प्रश्न केवल तब उठता है जब न्यायालय पाता है कि अभियुक्त सेशन मामलो में उन्मोचित किये जाने का हकदार नही है तथा अभियुक्त के उन्मोचन से संबंधित प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है तथा जज को सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कोई पर्याप्त आधार है।

39. मा. शीर्ष न्यायालय ने **पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह तथा अन्य (2009) 3 एससीसी (क्रि) 850** के मामले में यह धारित किया है कि आरोपो को मजबूत आशंका के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। साक्ष्य का क्रमबंधन तथा मूल्यांकन उस समय पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नही होता है।

40. मा. शीर्ष न्यायालय ने **सज्जन कुमार बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो [(2010) 9 एससीसी 368]** के मामले में यह धारित किया है कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर संबंधित जज द्वारा पक्ष तथा विपक्ष, विश्वसनीयता तथा स्वीकार्यता इत्यादि ; साक्ष्यिक मूल्य सहित सभी सामग्रीयो का विश्लेषण करना आवश्यक नही है तथा इसके विश्वसनीयता एवं सत्यता पर विचार विचारण के प्रक्रम पर किया जाना चाहिए।

41. मा. शीर्ष न्यायालय ने **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक चेन्नई, बनाम एस. सेल्वी तथा एक अन्य, (2018) 13 एससीसी 455** के मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि

उन्मोचन के प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा यह ज्ञात करने के विचार से अभिलेख पर दस्तावेजो एवं सामग्री का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है यदि इसके प्रत्यक्ष मूल्य पर लिये गये इससे प्रकट होने वाले तथ्यो से अभिकथित अपराध गठित करने वाले सभी संघटको का होना प्रकट होता है। इस सीमित प्रयोजन हेतु साक्ष्य के छानबीन की अपेक्षा यह स्वीकार करने के आरंभिक प्रक्रम पर नही की जा सकती है कि जो कुछ अभियोजन कहता है वेद वाक्य है भले ही यह सामान्य समझ या मामले के विस्तृत संभावनाओ के विरूद्ध होता है।

42. मा. शीर्ष न्यायालय ने **राज्य द्वारा सीबीआई बनाम डॉ0 अनूप कुमार श्रीवास्तव** के मामले में जोरदार तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि विधिक स्थिति सुस्थापित है कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर विचारण न्यायालय अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्रीयो की सविस्तार जाँच तथा मूल्यांकन नही करता है न ही अभियुक्त व्यक्तियो के विरूद्ध अभिकथित अपराध को साबित करने के लिए सामग्रीयो के पर्याप्ति पर विचार करना न्यायालय के लिए आवश्यक है। आरोप के प्रक्रम पर न्यायालय को मात्र यह समाधान करने के विचार से सामग्रीयो की जाँच करना होता है कि अभियुक्त व्यक्तियो के विरूद्ध अभिकथित अपराध किये जाने का प्रथमदृष्टया मामला बन रहा है। मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप का विरचित किया जाना दाण्डिक विचारण में पहला महत्वपूर्ण कदम है जहाँ न्यायालय से न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण अभिलेख तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के संबंध में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है। अपराध का संज्ञान लेते समय न्यायालय द्वारा मस्तिष्क के प्रयोग को आवश्यक बताया गया है लेकिन आरोप का विरचित किया जाना महत्वूर्ण घटना है जहाँ न्यायालय अपराध के अभियुक्त के उन्मोचन की संभावना पर विचार करता है जिससे वह आरोपित है या अभियुक्त द्वारा विचारण का सामना करना आवश्यक है।

43. मा. शीर्ष न्यायालय ने दाण्डिक मामलो में आरोपो को विरचित करने के संबंध में न्यायालय के शक्तियो के व्याप्ति की रूप रेखा प्रस्तुत किया है इनमें एक **दीपक भाई जगदीश चन्द्र बनाम गुजरात राज्य (2019) 16 एससीसी 547** है, जिसमें आरोप विरचित करने तथा उन्मोचन से संबंधित विधि की सविस्तार विवेचना पैरा 15 तथा 23 में किया गया है तथा इसे निम्नवत दोहराया जाता है:-

> "15. इस संबंध में हम लाभप्रद तरीके से बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह [बिहार राज्य बनाम रमेश, सिंह (1977) 4 एससीसी 39] में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट

किया है जिसमें इस न्यायालय ने निम्नवत आरोप विरचित करने तथा उन्मोचन के संबंध में सिद्धांतो को अधिकथित किया है : (एससीसी पे. 41-42, पैरा 4)

> "4..... सन्निधान में एक साथ धारा 227 तथा 228 को पढ़ने पर जैसा इसे समझा गया है, यह स्पष्ट है कि विचारण के आरंभिक तथा शुरूआती प्रक्रम पर साक्ष्य जिसे अभियोजक पेश करना चाहता है के सत्यता, यथार्थता तथा प्रभाव की सावधानीपूर्वक जाँच नही की जानी चाहिए। न ही अभियुक्त के संभाव्य प्रतिरक्षा को कोई महत्व दिया जाता है। विचारण के इस प्रक्रम पर जज द्वारा विस्तारपूर्वक विचार करना एवं संवेदनशील तराजू में तौलना आवश्यक नही है कि क्या तथ्य यदि साबित हो जाता है, अभियुक्त के निर्दोषिता से असंगत होगा या नही। परीक्षण के मानक तथा निर्णय जिसे अंततः अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के संबंध में निष्कर्ष लेखबद्ध करने के पहले लागू किया जाना चाहिए को तथ्यतः संहिता की धारा 227 या धारा 228 के अधीन मामले के विनिश्चय के प्रक्रम पर लागू नही किया जाना चाहिए। इस प्रक्रम पर न्यायालय यह नही देखता है कि क्या अभियुक्त के दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त आधार है या क्या विचारण का अंत इसके दोषसिद्धि में होना तय है। अभियुक्त के विरूद्ध मजबूत आशंका, यदि मामला आशंका के क्षेत्र में रहता है, विचारण के समाप्ति पर इसके अपराध के सबूत का स्थान नही ले सकता है। लेकिन आरंभिक प्रक्रम पर यदि मजबूत आशंका है जिस पर न्यायालय विचार करता है कि यह उपधारित करने हेतु आधार है अभियुक्त ने अपराध किया है तब न्यायालय यह कहने के लिए स्वतंत्र नही है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार नही है। अभियुक्त के अपराध की उपधारणा जिसे आरंभिक प्रक्रम पर निकाली जानी चाहिए फ्रांस में दाण्डिक मामलो के विचारण को नियंत्रित करने वाले विधि के अभिप्राय में नही है जहाँ अभियुक्त तब तक दोषी उपधारित नही किया जाता है जब तक प्रतिकूल साबित नही हो जाता है। लेकिन यह प्रथम दृष्टया यह विनिश्चय करने के प्रयोजन हेतु होता है कि क्या न्यायालय को विचारण में अग्रसर होना चाहिए या नही। यदि साक्ष्य जिसे अभियोजक अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पेश करना चाहता है भले ही इसके समक्ष पूर्णतया स्वीकार किया जाता है प्रति-परीक्षा में चुनौती दिया जाता है या प्रतिरक्षा साक्ष्य यदि कोई है द्वारा खण्डन किया जाता है से यह प्रदर्शित नही हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, तब विचारण में अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार नही होगा। यदि अभियुक्त के अपराध या निर्दोषिता के संबंध में तराजू का पलड़ा विचारण के समाप्ति पर बराबर जैसा है तब, संदेह के लाभ के सिद्धांत पर मामले का अंत इसके दोषमुक्ति में होना चाहिए। लेकिन यदि, दूसरी तरफ, यह धारा 227 या धारा 228 के अधीन आदेश करने के आरंभिक प्रक्रम पर ऐसा है तब इस प्रकार की स्थिति में सामान्यता तथा साधारणतया आदेश जिसे करना होगा धारा 228 के अधीन होगा न कि धारा 227 के अधीन।

23. आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर सिद्धांतो के अनुसार जिसे इस न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है, न्यायालय से जिस चीज को करने की अपेक्षा की जाती है, यह मात्र पोस्ट ऑफिस के रूप में कार्य नही करता है। न्यायालय को वास्तव में अपने समक्ष सामग्री की छानबीन करनी चाहिए। छानबीन की जाने वाली सामग्री ऐसी सामग्री होगी जिसे अभियोजन द्वारा पेश किया जाता है तथा भरोसा किया जाता है। छानबीन इस अर्थ में अति सावधानीपूर्वक नही की जानी चाहिए कि न्यायालय पूरे विचारण के बाद

सम्पूर्ण साक्ष्य पेश किये जाने के पश्चात तर्की को सुनवाई करते हुए विचारण जज का लबादा पहनता है तथा प्रश्न यह नही है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्त के दोषसिद्धि हेतु मामला बनाया है। कुल मिलाकर आवश्यक यह है कि न्यायालय को समाधान करना चाहिए कि उपलब्ध सामग्रीयो से अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए मामला बनता है। एक मजबूत आशंका पर्याप्त है। फिर भी, मजबूत आशंका को कछ सामग्री पर आधारित होना चाहिए। सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे विचारण के प्रक्रम पर साक्ष्य में बदला जा सके। मजबूत आशंका जज के नैतिक विचारो पर आधारित विशुद्ध व्यक्तिपरक समाधान नही हो सकता है कि यह मामला ऐसा है जहाँ यह संभव है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। मजबूत आशंका ऐसी आशंका होनी चाहिए जो कुछ सामग्री पर आधारित होता है जो स्वयं न्यायालय से प्रथम दृष्टया विचार को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त होने की सिफारिश करता है। कि अभियुक्त ने अपराध किया है"

44. हाल में, **गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मगरे (2022) 12 एससीसी 657** के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय की पूर्णपीठ ने विस्तारपूर्वक आरोप विरचित करने के विवाद्यक की विवेचना किया है तथा पैरा 27 में अभिनिर्धारित किया है जो निम्नवत पठित है:-

"27. इस प्रकार, पूर्वोक्त से, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय आरोप विरचित करने के समय पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करन के कर्तव्य से आदिष्ट है तथा इसे मात्र पोस्ट ऑफिस के रूप में कार्य नही करना चाहिए। पुलिस द्वारा उपस्थापित आरोप पत्र पर पृष्ठांकन क्योकि यह अपने मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना है तथा अपने विचार के समर्थन में संक्षिप्त कारणो को लेखबद्ध किये बिना है विधि द्वारा अनुमोदित नही है। फिर भी, सामग्री जिसका मूल्यांकन आरोप विरचित करने के समय पर न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है वह सामग्री होनी चाहिए जिसे अभियोजन द्वारा पेश किया जाता है तथा भरोसा किया जाता है। इस प्रकार की सामग्री की छानबीन इतनी अतिसावधानीपूर्वक नही की जानी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध या अन्यथा को ज्ञात को करने के लिए कवायद को लघु विचारण बना देगा। कुल मिलाकर इस प्रक्रम पर आवश्यक है कि न्यायालय को समाधान करना चाहिए कि अभियोजन द्वारा एकत्रित साक्ष्य यह उपधारित करने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। मजबूत आशंका भी पर्याप्त होगी। निः सन्देह, सामग्री के अलावा जिसे धारा 173 द.प्र.सं. के अनुसार अंतिम रिपोर्ट के रूप में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, न्यायालय किसी अन्य साक्ष्य या सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है जो उत्तम गुणवत्ता का है तथा इसका अभियोजन द्वारा इसके समक्ष पेश आरोप से सीधा संबंध है।"

45. इस प्रकार, पूर्वोक्त विधिक प्रतिपादनाओ से यह निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि मामले के अभिलेख तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजो पर विचार करने के बाद तथा इस निमित्त अभियुक्त तथा अभियोजन के निवेदनो को सुनने के बाद, जज मानता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार नही है, वह अभियुक्त का उन्मोचन करेगा तथा ऐसे करने के अपने कारणो को लेखबद्ध करेगा तथा यदि, पूर्वोक्तानुसार सुने जाने तथा विचार के बाद, जज की राय है कि यह उपधारित करने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, विचारण न्यायालय आरोप विरचित करेगा। इसलिए, उन्मोचन का प्रक्रम आरोप

विरचित किये जाने के पहले का प्रक्रम है तथा एक बार न्यायालय उन्मोचन आवेदन को नामंजूर कर देता है, यह आरोप विरचित करने के लिए अग्रसर होगा। उन्मोचन के प्रक्रम पर, जज को यह ज्ञात करने के लिए मात्र साक्ष्य की छानबीन तथा विचार करना पड़ता है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार है  या नही तथा दूसरो शब्दो में, आधारो की पर्याप्ति पुलिस द्वारा लेखबद्ध साक्ष्य के प्रकृति या न्यायालय के समक्ष पेश दस्तावेजो को अपने लेपेटे में लेगा जो स्पष्टतया यह प्रकट करता है कि अभियुक्त के विरूदध संदिग्ध परिस्थितियाँ है जिससे इसके विरूद्ध आरोप विरचित किया जा सकता है तथा इसके वाद यदि जज इस निष्कर्ष पर आता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, वह आरोप विरचित करेगा तथा यदि नही, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा।

46. यह अवधारित करने के लिए मामले के तथ्यो के  संबंध में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए कि क्या विचारण हेतु मामला अभियोजन द्वारा बनाया जा रहा है, न्यायालय द्वारा मामले के पक्ष एवं विपक्ष में जाने या साक्ष्य तथा संभावनाओ पर विचार करने तथा तोलने की आवश्यकता नही है जो विचारण आरंभ होने के बाद वास्तव में न्यायालय का कार्य है। हमारे सुविचारित राय में कि वर्तमान मामले के इस प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा मात्र यह विचार करना आवश्यक है कि क्या प्रथमदृष्टया मामला बन रहा है या नही तथा क्या अभियुक्त पर आगे विचारण आवश्यक है या नही क्योकि आरोप विरचित करने तथा/या उन्मोचन आवेदन पर विचार करने के प्रक्रम पर, लघु विचारण अनुज्ञेय नही है।

47. पूर्वोक्त निर्णयज विधियो तथा न्यायिक निगमन के पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय अब तथ्य की जाँच करने के लिए अग्रसर हो रहा है जिससे इस निष्कर्ष पर आया जा सके कि क्या साक्ष्य जिसे अन्वेषण के अनुक्रम में एकत्रित किया गया है तथा अभिलेख पर लाया गया है, जैसा आक्षेपित आदेश में उपलब्ध है प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही?

48. यह न्यायालय अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के अनुक्रम में एकत्रित साक्ष्य की छानबीन करना उपयुक्त तथा उचित समझता है जैसा आरोप पत्र में लेखबद्ध किया गया है जो वर्तमान याचिका से संलग्न है।

49. आरोप पत्र से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभियोग है कि नामांतरण अतिरिक्त भूमि का दर्ज किया गया है। आरोप पत्र में यह आया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता 2009-2010 के दौरान रातू अंचल, राँची में हलका कर्मचारी के रूप में पदस्थ था तथा काम कर रहा था तथा हलका की देखरेख पर रहा था जिसमें गाँव पुनडुग शामिल था तथा

इसने तत्कालीन हलका कर्मचारी, रातू अंचल, राँची के हैसियत में 35.55(19+16.55) डिस्मल भूमि के वास्तविक जोत में से 39.49 अतिरिक्त भूमि के नामांतरण की सिफारिश किया था।

50. आगे यह प्रकट होता है कि 39.49 डिस्मल भूमि को अलग अलग व्यक्तियो को बेचा गया था तथा 04 मामलो का नामांतरण वर्तमान याचिकाकर्ता के सिफारिश पर किया गया था।

51. आरोपपत्र से यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त संव्यवहार में 4 मामलो का नामांतरण जिसमें 17.33 डिस्मल शामिल था को पहले ही 16.55 डिस्मल के वास्तविक जोत के विरूद्ध वर्तमान याचिकाकर्ता के सिफारिश पर रातू अंचल में किया गया था।

52. आरोपपत्र में यह भी आया है कि विक्रय-विलेख के साथ संलग्न स्थल मानचित्र से कुल भूखण्ड या ग्राम मानचित्र के किसी संदर्भ के बिना बिके क्षेत्रफल का परिमाप प्रदर्शित होता है तथा इसलिए विक्रय विलेख के साथ संलग्न मानचित्र के आधार पर, भूखण्डो का यह साबित करने के लिए शिनाख्त तथा सत्यापन नही किया जा सका कि याचिकाकर्ता के पास भूमि का कब्जा था तथा उक्त कंपनी के निदेशको को आर्थिक लाभ देने के लिए, हलका कर्मचारी के रिपोर्ट पर नामांतरण को अनुज्ञात किया गया था कि क्रेता भूखण्ड पर काबिज था।

53. वर्तमान, मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध आरोपित अभिकथनो से याचिकाकर्ता के पूरे जानकारी का पता चलता है कि अतिरिक्त भूमि की माँग भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल के विरूद्ध नामांतरित किये जाने के लिए किया गया था तथा अभिकथनो से यह प्रतीत होता हैकि याचिकाकर्ता ने विभिन्न आवेदनो के अन्तर्गत नामांतरण के प्रयोजन हेतु सिफारिश करते हुए अभिकथित रूप से वास्तविक भूमि के क्षेत्रफल को छिपाया था जिसके कारण अंततोगत्वा 35.55 डेसीमल के वास्तविक जोत में से 39.49 अतिरिक्त भूमि के नामांतरण हेतु सिफारिश किया गया था।

54. उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत, न्यायालय पाता है कि भूखण्ड के क्षेत्रफल से अधिक भूमि के नामांतरण बारे में याचिकाकर्ता गण के विरूद्ध अभिकथन है तथा इस प्रक्रम पर खण्डन नही किया जा सकता है कि याचिकाकर्तागण उक्त मेसर्स संजीवनी बिल्डकान प्रा.लि. के साठगाँठ में नही थे।

55. सर्वप्रमुख तर्क जैसा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है कि याचिकाकर्ता तब हलका कर्मचारी था तथा इसकी भूमिका मात्र नामांतरण हेतु सिफारिश करने तक सीमित थी तथा वह अधिनियम 1973 के प्रावधानो के दृष्टिगत सिफारिश करने के लिए

कर्तव्यवद्ध था। तर्क के इस भाग को साबित करने के लिए विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम 1973 की धारा 13 की सहायता लिया है।

56. इस संदर्भ में अधिनियम 1973 की धारा 13 के सुसंगत प्रावधान को इसमें निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है जो निम्नवत पठित है:-

> "13. मुखिया, सर्किल निरीक्षक या कर्मचारी द्वारा अंचल अधिकारी को किसी अन्य साधनो द्वारा निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार या अर्जन के विभाजन के मामलो का रिपोर्ट करना- मुखिया, सर्किल निरीक्षक या कर्मचारी अपने अधिकारिता में गावो में अपने जाने के अनुक्रम में जोत या इसके भाग में किसी अन्य साधनो द्वारा विभाजन, निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार या अर्जन या हित के मामलो की जानकारी प्राप्त करेगा तथा तत्काल इस विहित फार्म में अंचल अधिकारी को देगा।"

57. पूर्वोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि कर्मचारी अपने अधिकारिता में गावो में अपने जाने के अनुक्रम में जोत या इसके भाग में किसी अन्य साधनो द्वारा विभाजन, निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार या अर्जन या हित के मामलो की जानकारी प्राप्त करने के लिए कर्तव्यबद्ध है तथा तत्काल इसे विहित प्रारूप में अंचल अधिकारी को देगा तथा इस प्रकार के रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के बाद सर्किल अधिकारी अधिनियम 1973 की धारा 14(1) के अधीन सभी सुसंगत पत्रावली पर विचार करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा।

58. शब्द "अपने अधिकारिता के गावो में अपने जाने के अनुक्रम में जोत या इसके भाग में किसी अन्य साधनो द्वारा हित या" पहलू है तथा अपराध करने में याचिकाकर्ता के संलिप्तता के संबंध में याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित हो रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क का उत्तर है।

59. यहाँ, वर्तमान मामले में भी, अभिकथन यह है कि नामांतरण के सृजन हेतु सिफारिश भूमि के अतिरिक्त क्षेत्रफल के अलावा किया गया है।

60. अभिकथन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यदि याचिकाकर्ता ने पूर्ण या इसके भाग में किसी अन्य साधनो द्वारा हित के संबंध में सूचना एकत्रित किया होता केवल तभी सिफारिश को उचित कहा जा सकता है तथा इन परिस्थितियो में, अतिरिक्त भूमि के नामांतरण के सृजन की सिफारिश करने की कोई गुंजाइश नही होगी।

61. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कर्मचारी की विनिर्दिष्ट भूमिका है तथा अत्यधिक सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी के साथ भूमि के संबंध में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

62. फिर भी, वर्तमान मामले में वर्तमान याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रमुख अभिकथन यह है कि प्राइवेट व्यक्तियो के साठगाँठ से इसने अतिरिक्त भूमि के नामांतरण को सुकर बनाया था।

63. इस प्रकार, उपरोक्त के दृष्टिगत, इस प्रक्रम पर, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता

द्वारा प्रस्तुत तर्क विचारण की विषय वस्तु है जिसका मूल्यांकन इस प्रक्रम पर नही किया जा सकता है।

64. आगे, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय पर अपना भरोसा रखा है **जैसा सी. के. जाफर शरीफ** (ऊपर) में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिसमें मा. उच्चतम न्यायालय ने पाया था कि चार व्यक्तियो ने लंदन में रहने के दौरान मंत्री के रूप में कर्तव्यो के निवर्हन के संबंध में कतिपय कार्य करने में इस मामले के अपीलार्थी की सहायता किया था तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए मा. उच्चतम न्यायालय ने पाया कि यह कल्पना करना कठिन है कि कैसे अन्वेषण के अनुक्रम में उदघाटित सामग्रीयो द्वारा प्रमाणित इन तथ्यो के आलोक में, इस मामले के याचिकाकर्ता का अर्थ भ्रष्ट या अवैध तरीका अपनाया हुआ या स्वयं के लिए या किन्ही चार अभियुक्त व्यक्तियो के लिए किसी मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दूरूपयोग किया लगाया जा सकता है तथा इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, यह आदेश पारित किया गया है।

65. वर्तमान मामले का तथ्य पूर्णतया भिन्न है तथा विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यो पर आधारित इसके प्रयोज्यता के आधार पर पारित किया जाना चाहिए।

66. इसमें, याचिकाकर्ता के विरूद्ध अभिकथन भूखण्ड के क्षेत्रफल से अधिक भूमि के नामांतरण के बारे में है।

67. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यदि अन्वेषण के अनुक्रम में एकत्रित सामग्री पर आधारित आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था तब यह नही कहा जा सकता है कि विचारण हेतु कार्यवाही करने के लिए सामग्री नही है।

68. मामले के पूर्वोक्त पहलू की जाँच विचारण के दौरान की जानी चाहिए क्योकि शर्त के अनुसार यदि आरोप हेतु कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है, कोई उन्मोचन नही हो सकता है। यह इस सिद्धांत पर है कि यदि सामग्री है, इसे विचारण आरंभ करते हुए साक्ष्य पेश करके तार्किक अंत तक पहुँचने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

69. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधिकांश अभिवाक् जिसे इसमें विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया है को पहले ही पूर्वोक्त आपराधिक विविध याचिका (आपराधिक विविध याचिका सं. 2867 वर्ष 2014) में इस न्यायालय के समन्वय पीठ के समक्ष ले जाया गया है जिसे पहले ही आदेश दिनांक 18-10-2019 द्वारा खारिज किया गया है।

70. उपरोक्त तथ्यो, कारणो तथा विश्लेषणो के दृष्टिगत तथा उन्मोचन के सिद्धांत पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नही है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का उचित आधार हो।

71. तद्नुसार, आपराधिक पुनरीक्षण सं. 666 वर्ष 2021 को एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

**(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)**

**(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)**